"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 396-अ]   नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 अप्रैल 2025 — वैशाख 10, शक 1947

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2025

अधिसूचना

क्रमांक RULE-801/17/2025-REVENUE/7-1. – छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, दिनांक 01 जनवरी, 2024 के पूर्व में इन शक्तियों के अंतर्गत जारी समस्त अधिसूचनाओं को निरसित करती है एवं निम्नानुसार शक्तियों का प्रत्यायोजन करती है, अर्थात्:–

1. संहिता की धारा 60, 222, 223, 224 व 226 के अंतर्गत कलेक्टर की शक्तियॉं उपखंड अधिकारियों को, उन्हें कलेक्टर से आबंटित क्षेत्राधिकार में, होगी।

2. नगरीय क्षेत्र की भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी की शक्तियॉं और संहिता की धारा 93 एवं 94 के अधीन कलेक्टर की शक्तियॉं नजूल अधिकारी के रूप में कार्यरत संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर को होगी तथा नजूल अधिकारी के आदेशों की अपील धारा 44 के तहत कलेक्टर को होगी।

3. संहिता की धारा 143 के अंतर्गत उपखंड अधिकारी की शक्तियाँ समस्त तहसीलदार को उन्हे आबंटित क्षेत्राधिकार में होगी।

4. संहिता के अधीन तहसीलदार की शक्तियाँ,

   (एक) समस्त स्थायी नायब तहसीलदारों, जो नायब तहसीलदार के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हुए हों, 2 वर्ष की सेवा पूरी की हो एवं विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण हों, को उन्हें कलेक्टर से आबंटित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगी।

   (दो) समस्त स्थायी नायब तहसीलदारों जिन्होंने सीमित भर्ती परीक्षा पदोन्नति से नियुक्ति प्राप्त की हो एवं नायब तहसीलदार के पद पर 02 वर्ष की सेवा पूरी हो, को उन्हें कलेक्टर से आबंटित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगी।

   (तीन) समस्त अधीक्षक भू–अभिलेख एवं सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख, जिन्हें तहसीलदार या नायब तहसीलदार के प्रभार का निर्वहन करने के लिए कलेक्टर, द्वारा क्षेत्राधिकार आबंटित किए जाएं, को उन्हें कलेक्टर से आबंटित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगी।

5. संहिता की धारा 128(2) एवं 130 तथा अविवादित मामलों के संबंध में धारा 110, 178, 178–क एवं 178–ख के अंतर्गत तहसीलदार की शक्तियाँ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अधीन गठित ग्राम पंचायतों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर होगी।

6. संहिता की धारा 248 के अधीन तहसीलदार की शक्तियाँ एवं धारा 248 एवं 172 के अंतर्गत उपखंड अधिकारी की शक्तियाँ, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के क्रमशः सहायक प्रबंधक(भूमि) को एवं उप–प्रबंधक(भूमि) को प्राधिकरण की भूमि में होगी।

7. संहिता की धारा 248 के अधीन तहसीलदार की शक्तियॉ लोक निर्माण के उपखंड के प्रभार वाले सहायक यंत्रियों और कनिष्ठ यंत्रियों को लोक निर्माण विभाग की भूमि के संबंध में उन्हें आबंटित क्षेत्राधिकार में होगी।

8. संहिता की धारा 146 एवं 147 के अधीन तहसीलदार की शक्तियॉ, विक्रय कर पदाधिकारियों, अपर विक्रय कर पदाधिकारियों एवं सहायक विक्रय कर पदाधिकारियों को, इनके आदेशों के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियॉ सहायक विक्रय कर आयुक्तों को तथा इनके आदेशों के संबंध में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियॉ उपायुक्त विक्रय कर को उनके क्षेत्राधिकार में छत्तीसगढ़ जनरल टैक्स एक्ट, 1958, सेन्ट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956, छत्तीसगढ़ शुगर केन (परचेज टैक्स) एक्ट, 1961, छत्तीसगढ़वृत्ति व्यापार आजीविका एवं सेवायोजन कर अधिनियम, 1966, छत्तीसगढ़ विक्रय राशि तथा क्रय राशि पर कर अधिनियम, 1972, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976, छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981, होटल तथा वासगृहों में विलास पर कर अधिनियम, 1988, के अधीन कर के बकाया की वसूली के लिए होगी।

9. संहिता की धारा 146 एवं 147 के अधीन तहसीलदार की शक्तियॉ,

(एक) समस्त उपखंड अधिकारी (वन) को उन्हें आबंटित क्षेत्राधिकार के भीतर, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 82 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य धन की वसूली के लिए होगी।

(दो) समस्त पंचायत तथा समाज कल्याण संगठकों को निदेश पंचायत अधिनियम के अधीन भू–राजस्व के बकाया की भॉति वसूल की जाने वाली समस्त बकाया कर के संबंध मे होगी।

(तीन) समस्त जिला पंजीयक एवं कलेक्टर स्टाम्प को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर बकाया की वसूली के लिये होगी।

(चार) जिला उद्योग केन्द्रों के समस्त महाप्रबंधकों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर मार्जिन मनी की बकाया की वसूली के लिये होगी।

(पांच) जल संसाधन विभाग के उपखंडों में कार्यरत समस्त उपयंत्रियों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर धारा 155 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के तौर पर जल करों की वसूली के लिए होगी।

(छः) समस्त सहायक जिला आबकारी अधिकारियों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 तथा छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 के अधीन बकाया की वसूली के लिए उनके क्षेत्राधिकार के भीतर होगी।

(सात) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अधीन स्थापित समस्त विकास प्राधिकरणों में कार्यरत सभी संपदा अधिकारियों को अधिनियम की धारा 63–क के अधीन बकाया की वसूली के लिये उनके क्षेत्राधिकार के भीतर होगी।

(आठ) विद्युत मंडल के अपर अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, अपर कार्यपालन यंत्री तथा सहायक यंत्री को विद्युत मंडल की बकाया की वसूली के लिये उनके क्षेत्राधिकार के भीतर होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 28th April 2025

NOTIFICATION

No. RULE-801/17/2025-REVENUE/7-1. - In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, the State Government, hereby, repeals all the notifications issued prior to date 01 January, 2024 under these powers and delegates the powers as follows, namely, -

1. Under sections 60, 222, 223, 224 and 226 of the Code, the Sub-Divisional Officers shall have the powers of the Collector within the jurisdiction allotted to them by the Collector.

2. In relation to the land in the urban area, the powers of the Sub-Divisional Officer and the powers of the Collector under Section 93 and 94 of the Code will be vested in the Joint Collector/Deputy Collector working as Nazul Officer and the appeal of the orders of the Nazul Officer will be to the Collector under Section 44.

3. Under Section 143 of the Code, the powers of the Sub-Divisional Officer will be with all the Tehsildars within the jurisdiction allotted to them.

4. Powers of Tahsildar under the Code,

(i) will be with all the permanent Naib Tahsildars, who have been appointed to the post of Naib Tahsildar by direct recruitment, have completed 2 years of service and have passed all the departmental examinations, under the jurisdiction allotted to them by the Collector.

(ii) will be all permanent Naib Tahsildars who have received appointment through limited recruitment examination and promotion and have completed 02 years of service on the post of Naib Tahsildar, under the jurisdiction allotted to them by the Collector.

(iii) will be all Superintendents of Land Records and Assistant Superintendents of Land Records, who are allotted jurisdiction by the Collector to discharge the charge of Tahsildar or Naib Tehsildar, under the jurisdiction allotted to them by the Collector.

5. Powers of Tahsildar under Section 128(2) and 130 and Section 110, 178, 178-A and 178-B of the Code in relation to undisputed cases will be with Gram Panchayats constituted under the Chhattisgarh Panchayat Raj Act, 1993 in their jurisdiction.

6. The powers of Tahsildar under Section 248 of the Code and the powers of Sub-Divisional Officer under Section 248 and 172 will be to the Assistant Manager (Land) and Deputy Manager (Land) respectively in the land under the authority of Naya Raipur Development Authority, Raipur.

7. Under Section 248 of the Code, the powers of the Tahsildar shall extend to the jurisdiction allotted to the Assistant Engineers and Junior Engineers in charge of the sub-division of the Public Works Department in relation to the land of the Public Works Department.

8. Under Section 146 and 147 of the Code, the powers of Tahsildar shall extend to Sales Tax Officers, Additional Sales Tax Officers and Assistant Sales Tax Officers, in relation to their orders, the powers of first appellate authority shall extend to Assistant Sales Tax Commissioners, and in relation to their orders, the powers of the second appellate authority shall extend to the Deputy Commissioner, in their jurisdiction, for recovery of arrears of tax under Chhattisgarh General Tax Act, 1958, Central Sales Tax Act, 1956, Chhattisgarh Sugar Cane (Purchase Tax) Act, 1961, Chhattisgarh Profession, Trade, Livelihood and Employment Tax Act, 1966, Chhattisgarh Tax on Sale Amount and Purchase Amount Act, 1972, Chhattisgarh Tax on Entry of Goods in Local Area Act, 1976, Chhattisgarh Cess Act, 1981, Tax on Luxury Hotels and Guest Houses Act, 1988.

9. Under section 146 and 147 of the Code, the powers of Tahsildar, shall extend to

(i) all Sub-Divisional Officers (Forest), within the jurisdiction allotted to them, for the recovery of money recoverable as arrears of land revenue under section 82 of the Indian Forest Act, 1927.

(ii) all Panchayat and social welfare organizers for the outstanding tax to be recovered as arrears of land revenue under the Panchayat Act.

(iii) all District Registrars and Collector of Stamps for recovery of the dues within their jurisdiction.

(iv) all General Managers of District Industry Centers for recovery of outstanding margin money within their jurisdiction.

(v) all sub-engineers working in the sub-divisions of the Water Resources Department, for recovery of water taxes as arrears of land revenue under section 155 within their jurisdiction.

(vi) all the Assistant District Excise Officers within their jurisdiction for recovery of dues under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 and Chhattisgarh Entertainment Fee and Advertisement Tax Act, 1936.

(vii) all the estate officers working in all the development authorities established under the Chhattisgarh Town and Country Planning Act, within their jurisdiction the recovery of dues under Section 63-A of the Act.

(viii) all the Additional Superintending Engineer, Executive Engineer, Additional Executive Engineer and Assistant Engineer of the Electricity Board within their jurisdiction for recovery of the dues of the Electricity Board.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AVINASH CHAMPAWAT, Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2025

अधिसूचना

क्रमांक RULE-801/17/2025-REVENUE/7-1. —छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 18 सहपठित धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. 13689—सी—आर—661—सात—ना (नियम) दिनांक 22.12.1959 प्रकाशन दिनांक 01.01.1960 एवं अधिसूचना क्र. 13690—सी—आर—661—सात—ना(नियम) दिनांक 22.12.1959 प्रकाशन दिनांक 01.01.1960 को निरसित करते हुए निम्नानुसार निदेश देती है, अर्थात्:—

1. शासन या कलेक्टर द्वारा सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर एवं उप कलेक्टर, जिन्होंने राजस्व विधि और प्रक्रिया की विभागीय परीक्षा विशेष श्रेणी या उच्च श्रेणी से उत्तीर्ण की हो, को उपखंड अधिकारी नियुक्त किये जाने पर, उपखंड अधिकारी की समस्त शक्तियाँ होंगी।

2. उपरोक्त से अन्य सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर एवं उप कलेक्टर को राजस्व प्रकरणों में प्रतिवेदन देने का कार्य दिया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 28th April 2025

NOTIFICATION

No. RULE-801/17/2025-REVENUE/7-1. - In exercise of the powers conferred by Section 18 read with Section 22 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, the State Government, hereby, repeals the directions vide Notification No. 13689-C-R-661-VII-Na (Rules) dated 22.12.1959, publication dated 01.01.1960 and Notification no. 13690-C-R-661-Seven-Na (Rules) dated 22.12.1959, publication dated 01.01.1960, and gives the following directions, namely -

1. Assistant Collector, Joint Collector and Deputy Collector, who have passed the departmental examination of Revenue Law and Procedure with distinction level or higher level, shall have all the powers of the Sub-Divisional Officer, when appointed as Sub-Divisional Officer by the government or Collector.

2. Apart from the above, other Assistant Collectors, Joint Collectors and Deputy Collectors can be given the task of giving reports in revenue cases.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AVINASH CHAMPAWAT, Secretary.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2025

अधिसूचना

क्रमांक RULE-801/17/2025-REVENUE/7-1. – छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को छोड़कर अन्य विभाग के अधिकारियों को अतिरिक्त तहसीलदार नियुक्त करने एवं शक्तियां विहित करने विषयक पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 28th April 2025

NOTIFICATION

No. RULE-801/17/2025-REVENUE/7-1. - In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, the State Government, hereby, annuls all the previously issued notifications regarding appointment of Additional Tahsildar and prescribing powers of Additional Tahsildar to officers of other departments except Revenue and Disaster Management Department.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AVINASH CHAMPAWAT, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.